अपील सूचना अधिकार संख्या 17/2020(GCMS 2020/00017) श्री राधेश्याम गोयल निवासी मकान नं. 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(मोबाईल नं. 94139–35077) (पोस्टल ऑर्डर नं. 46एफ/986474) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2019 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना उसे दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो निम्नानुसार हैः

1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2019 आपके कार्यालय श्रीगंगानगर में पहुंचने की तारीख व आर/आर की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र प्राप्ति से दिनांक 30.10.2019 तक जो जो कार्यवाही की गई, उसकी सूचना व कार्यवाकी की प्रमाणित प्रतिं
3. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मचारी व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
4. आपके पत्रांक 2223 दिनांक 23.02.2019 पर जो जो कार्यवाही दिनांक 30.10.2019 तक की गई है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5. भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में .... द्वारा 5 अधिकारियों को प्रार्थी का प्लाट का पट्टा नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा 10'गुणा 29½' का न बनाने के आधार पर दोषी पाये जाने के आधार पर उनके विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी करने बाबत। सूचना।

6. नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा 5 अधिकारियों व अन्य अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी करने बाबत सूचना इस सम्बन्ध में प्रार्थी के पत्र पर जो जो कार्यवाही की गयी है।

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक स्था/सूचना/2020/103 दिनांक 09.02.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है:

1. श्री राधेश्याम गोयल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2019 इस कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया। अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं है।
2. बिन्दु सं. 01 मे निहित है।
3. बिन्दु सं. 01 मे निहित है।
4. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के पत्र [illegible] 2223 दिनांक 25.02.2019 अभियोजन स्वीकृति से [illegible] कार्यालय में अभियोजन स्वीकृति से संबंधित कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। अतः इस पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में उसे जवाब दिया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ** भिजवाई **जावे। अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक **08.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(सौरभ स्वामी)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:42 IST
Reason: SelfAttested